



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail | ukhimathpwd@yahoo.in
| eepwd.ukh@gmail.com

Phone & Fax:- 01364-284239

पत्रांक 3193 / 13 सी०
सेवा में,

दिनांक/ 5 / 11/2018

उपवन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

विषय:- जनपद रूद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.760 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रपोजल न०-FP/UK/ROAD/29708/2017)

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 941/X-4-17/1(136)/2017 दि० 09-01-2018।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

शर्त संख्या 1:- प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु खण्ड द्वारा रू० 835654.00 मात्र का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
(Bank's Transaction No. 323720180904283064 Dated 12-09-2018 संलग्न है)

शर्त संख्या 2:- एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशी रू० 499320.00 का भुगतान खण्ड द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (Bank's Transaction No. 323720180904283064 Dated 12-09-2018 संलग्न है)

शर्त संख्या 3:- एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोतरी से सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 76 पर संलग्न है। (पुनः सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।)

शर्त संख्या 4:- खण्ड द्वारा समस्त देयकों का भुगतान जैसे (रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव व एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशी) का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग से आकलन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही पूर्ण भुगतान रू० 1334974.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु ऑनलाईन प्राप्त पावती रशीद संलग्न है)

शर्त संख्या 5:- खण्ड द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा इस आशय का प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 55 से 59 पर संलग्न है। (पुनः सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।)

शर्त संख्या 6:- वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र खण्ड द्वारा पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 50 से 54 पर संलग्न है। (पुनः सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।)

क्र०सं०-2.....

शर्त संख्या 7:- सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का खण्ड द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या 8:- खण्ड द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विषयवर्णित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 3-3 प्रतियों में

भवदीय,

o/c

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

पत्रांक

31 93 / 13 सी०

दिनांक 15 / 11 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग।

o/c


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ, (रूद्रप्रयाग)

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।



देहरादून: दिनांक: 09 जनवरी, 2018

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

विषय: जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्तयमुनि के अंतर्गत भणज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.76 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1887 / FP/UK/ROAD/29708/2017, दिनांक 07.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र के केदारनाथ के विकासखण्ड अगस्तयमुनि के अंतर्गत भणज-ग्वाड़-मचकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.76 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की कमी एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हथरस)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 341 (1)/X-4-17/1(136)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्र कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सत्यप्रकाश सिंह)

उप सचिव।

AGENCY COPY



Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 04-09-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EECDPWDUKM
PIF/Application No.	6129708676
MoEF/SG File No.	1(136)/2017
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, Rudraprayag
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	ukhimathpwd@yahoo.in 9675898652 1364-284239
Amount(in Rs)	1334974/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Thirteen Lakh Thirty-Four Thousand Nine Hundred and Seventy-Four Rupees Only

Stanwar
Depositor Signature
(Signature)



Bank's Transaction Number	Branch Stamp
323720180904283064	

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

CAMPA-MOEF Copy



Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 04-09-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EECDPWDUKM
PIF/Application No.	6129708676
MoEF/SG File No.	1(136)/2017
Address.	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, Rudraprayag
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	ukhimathpwd@yahoo.in 9675898652 1364-284239
Amount(in Rs)	1334974/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words : Thirteen Lakh Thirty-Four Thousand Nine Hundred and Seventy-Four Rupees Only

Stanwar
Depositor Signature
(Signature)



Bank's Transaction Number	Branch Stamp
323720180904283064	


- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: help@...

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अधिशामी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तरखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

भू-गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0- 930/सड़क/पुल समरेखण/गढ़वाल/2015

Geological Assessment of the 2 km long alignment corridor
proposed for the construction of Bhanj-Gwad-Machkandi
motor road, Distt. Rudrapryag

01.जनवरी.2016

Geological Assessment of the 2 km long alignment corridor proposed for the construction of Bhanj-Gwad-Machkandi motor road, Distt. Rudrapryag

Vijay Dangwal

01.01.2016

1- Introduction:- The Construction Divison, Public Work Department, Ukhimath vide G.O. No. 2724/111(2)/15-05(मु0मं0घ00)/2015 दिनांक 23.04.2015 has been entrusted for the construction of 2 km long motor road namely Bhanj-Gwad-Machkandi motor road, Distt. Rudraprayag. On the request made by Er. Manoj Das, Executive Engineer I carried out the geological assessment of the ground proposed for the construction of above said road on 13.11.2015. Er. Andeep Rana, Astd. Engineer and Er. Ankit Sundariyal, Jr. Engineer were present during the site visit.

2- Location:- The proposed alignment corridor of this road originates from Km 20 HM 8-10 of Banswada-Kansil-Chandrangar-Mohankhal motor road, Distt. Rudraprayag.

3- Geological Assessment:- Geologically, the alignment corridor proposed for the construction of the above said motor road lies in a part of Inner Lands of Garhwal Lesser Himalaya. The terrain containing this alignment is rugged and dissected and characterized by steeply inclined lofty mountains. The sericitic quartzites, schists belonging to Ramgarh Group and Almora Group are exposed in this area. The alignment corridor passes across the slope inclined at moderate to steep angle. The rock masses are exposed to the surface at scant locations otherwise most of the cross slopes are covered by thick sheet of overburden material. The rocks are fair to moderately hard, slight to partially weathered/compact and thickly jointed in nature. The pile of overburden material deposited on and across the alignment corridor is comprised of rock fragments embedded in the silty clay matrix. At places it contains clay minerals in abundance. This overburden material is naturally dense, hard in dry state and fully compacted in nature. Its Undrained Shear Strength has been assessed at the site ranging in between 250 K Pa to 350 K Pa. At places the cross slopes are altered in the form of small benches constructed for cultivation purpose. This alignment passes across many houses constructed in these villages.

By and large the alignment slope s are stable and do not manifest signatures related to the ground deformation.

In this alignment 06 No's of HP Bends have been provided. It is advised to reduce these to 04 No's.

On the basis of the geological inspection of the site studies carried and the facts given above, the following recommendations are being made for the

construction of the proposed above said motor road failing to these recommendations this report will be automatically treated as cancelled.

4- Recommendations:

- 1- Form the road by half cut half fill technique and compact the fill material properly by dynamic compaction.
- 2- Wherever the road passes between the buildings minimum excavation with suitable supportive measures is recommended.
- 3- Do not dispose the excavated waste on the lower slopes.
- 4- In order to maintain the overall stability of the hill slopes and the road construct suitably designed retaining walls/ brest walls all along the road.
- 5- Construct large hill side drain all along the road and make adequate cross drainage arrangements.
- 6- Make adequate arrangements to dispose the waste water on the safe/ stable ground.
- 7- The drainage work must be taken up immediately after the excavation of the hill slopes.
- 8- All the construction activity must be carried out as per the standards and norms following the BIS codes prescribed for the similar civil construction in Himalayan Zone.

5- Conclusion:- On the basis of the geological / geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the alignment corridor proposed for the construction of 2 km long motor road namely Bhanj-Gwad-Machkandi motor road, Distt. Rudraprayag:

Vijay Dangwal
11116

(Vijay Dangwal)
Senior Geologist
Office of the Engineer in Chief
UK, PWD (Dehradun)

Photo Copy Attested

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड ली० पि० बि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-34

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Task Force Certificate

- (a) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
 - (b) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
 - (c) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
 - (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.
- A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii)(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand,

Office of the District Collector, Rudraprayag.

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.760** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, PWD, Ukhimath** (name of user agency) for **Construction of Bhanj-Gwad-Machkandi motor road** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Bhanj** villages in **Ukhimath** tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.760** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.2, 30.3 and annexure 30.4
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature



District Magistrate
Rudraprayag, Uttarakhand.


प्रपत्र-30.1

Annexure -

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND.****Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr.....*Mangesh Chidiyal*..... District Magistrate, Rudraprayag District, on the date at timein Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.760 hectare for the construction of Bhanj-Gwad-Machkandi motor road in forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Ukhimath Tehsil sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the saided purpose.



**District Magistrate Cum-Chairman
Disrict Level Committee
Rudraprayag, Uttarakhand.**

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी ऊखीमठ

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऊखीमठ**

उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु पंचायती वनभूमि 0.490 है० मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.270 है० मक डिस्पोजल हेतु अर्थात् कुल 0.760 है० पंचायती वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-ऊखीमठ) की दिनांक 11-09-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जीएस० चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री जीएस० चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
श्री अशोक सिंह	उपप्रभागीय वनधिकारी	सदस्य
श्री अशोक सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
श्री अशोक सिंह	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु पंचायती वन भूमि 0.760 है० लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीयों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक सर्वसम्मति से उपखण्ड ऊखीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु पंचायती वन भूमि 0.760 है० लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्रधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बी०डी०सी०
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 विकास खण्ड अगस्त्यमुनि
 उपप्रभागीय वनधिकारी
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग
 उप जिलाधिकारी
 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 ऊखीमठ
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 जनपद रुद्रप्रयाग
 तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रुद्रप्रयाग
 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील - ऊखीमठ, जनपद - रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - भोज

तहसील - ऊखीमठ, जिला - रुद्रप्रयाग,

अनापत्ति का प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु पंचायती वनभूमि 0.490 है, मोटर मार्ग निर्माण हेतु व 0.270 है, मक डिस्पोजल हेतु अर्थात कुल 0.760 है, पंचायती वनभूमि का लो0नि0वि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 3/11/2017 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में लो0नि0वि0 द्वारा आवेदित पंचायती वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित पंचायती वनभूमि में आधिवासी अथवा किसी गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राज्य भूमि में किसी भी आधिवासी अथवा गैर आधिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित पंचायती वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भोज के ग्रामवासियों को उक्त पंचायती वनभूमि उक्त परियोजना हेतु लो0नि0वि0 को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत भणज



ग्राम पंचायत भणज



प्रपत्र-30.4

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 553/2015 के अन्तर्गत जनपद - रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत भणज - ग्वाड़ - मचकण्डी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

दिनांक 03/04/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - भणज

क्र.स.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	2	3
1	भूजा देवी	भूजा देवी
2	सुशीला देवी	सुशीला देवी
3	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
4	हरीश सिंह	हरीश सिंह
5	जप्रन्ती देवी	जप्रन्ती देवी
6	मीना देवी	मीना देवी
7	विनोद सिंह	विनोद सिंह
8	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
9	अजना सिंह	अजना सिंह
10	अनिल सिंह	अनिल सिंह

सरपंच
वन पंचायत भणज
नाम अजना सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत
नाम अजना सिंह